# अपील/5201/2004/एलआर/नागौर
# परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

## एकल–पीठ
## श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

**उपस्थितः–**
(1) श्री एस0 के0 जोशी अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री मनीष पाण्डया अभिभाषक, रेस्पोडेंटस।

**निर्णय** **दिनांकः16.10.19**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेंट/शंकरलाल की ओर से जिला कलक्टर नागौर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम–14 (4) के तहत ग्राम खोडवा के खसरा नम्बर 86/366 में से 10.18 बीघा भूमि वर्तमान अपीलांट के पक्ष में नियमन किये जाने से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा प्रशासन गॉव के संग ( उपखण्ड अधिकारी लाडनू ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–02 से असन्तुष्ट होकर पेश किया किया गया , जिसे जिला कलक्टर ने उक्त प्रार्थनापत्र को अपने आदेश दिनांक 29–9–2003 को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी बावत अपीलांट के हक में दिनांक 11–6–02 को किया गया नियमन निरस्त कर दिया । जिससे व्यथित होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील वउनवानी परसुराम बनाम शंकरलाल आदि प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–8–2004 में अपील सारहीन होने से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

**अपील / 5201 / 2004 / एलआर / नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि अपील अपीलांटस के पक्ष में किया गया नियमन विधिपूर्वक था एवं पत्नी का नाम राज्य सरकार द्वारा भी दर्ज करने के आदेश है। अपीलांट पिछले 35 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि के कब्जे काश्त में है। दोनो अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध हैं। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया।<br><br>5— इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेंटस का तर्क है कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट ने तथ्य छुपा कर आवटन का पात्र नही होते हुए भी गौचर भूमि का आवंटन करवाया है जिस पर ग्रामवासियों द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिस पर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने आवंटन को गलत मानते हुए आवटन निरस्त किया गया। अपीलांट गौचर भूमि पर अतिक्रमी है। मामला ग्राम वासियों के सार्वजनिक हित से जुडा हुआ है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित व कानून सम्मत है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।<br><br>6— विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 9—4—18 पर निर्णय करना उचित समझते है जिसे न्याहित में स्वीकार करते हुए अपीलांट संख्या 1 परशुराम मृतक के स्थान पर हरवीर को बतौर अपीलांट संयोजित किया जाता है। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया । आवंटन पत्रावली का अवलाककन किया गया। अपीलांट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 15—9—2001 व 14—8—2004 की प्रति पेश की है। अपीलांट ने आवेदन स्वयं के नाम का पेश किया है जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार पति एवं पत्नि का संयुक्त रुप से आवेदन पेश होना चाहिए एवं उसकी अनुरुप नोशनल सेयर एवं पटवारी की रिपोर्ट | |

**अपील / 5201 / 2004 / एलआर / नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | लेनी चाहिए थी । इसके अलावा आवंटन फार्म के कालम संख्या 5 व 6 भी खाली है जिनको भरा जाना आवश्यक था। स्पष्ट है कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट ने तथ्य छुपा कर आवटन का पात्र नही होते हुए भी गौचर भूमि का आवंटन करवाया है जिस पर ग्रामवासियों द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिस पर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने आवंटन को गलत मानते हुए आवटन निरस्त किया गया। अपीलांट गौचर भूमि पर अतिक्रमी है। चूकि मामला ग्राम वासियों के सार्वजनिक हित से जुडा हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज करने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की है। अतः न्यायहित में हस्तगत अपील **खारिज** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर व जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश क्रमशः 9–8–2004 व 29–9–2003 की पुष्टि की जाती है। यथावत रखे जाते हैं<br><br>7– पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>( सुनील कुमार शर्मा )<br>सदस्य | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | RRT 2014 (1) page 409 :-<br>Revenue Appellate Authority has jurisdiction under section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-interim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act; but the Revenue Appellate Authority has no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex- | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | parte orders which are effective only till next date of hearing.<br><br>RRT 2014 (1) page 409 :-<br>Revenue Appellate Authority has jurisdiction under section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-interim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act; but the Revenue Appellate Authority has no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing. | |

# अपील / 5201 / 2004 / एलआर / नागौर
# परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 7–7–15 को फर्द मौका कार्यवाही की, जिसके विरुद्ध वर्तमान निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।<br>3– निगरानी के एडमीशन व स्टे प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।<br>4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि तहसीलदार की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जा रहा है। दिनांक 7–7–15 को फर्द मौका की कार्यवहीी भी एक पक्षीय है। सभी कार्यवाही के विचाराधीन रहते दिनांक 7–7–15 को बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये नायब तहसीलदार व्दारा एक मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी ,जिस पर न तो प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है एवं नाही प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही स्वेच्छाचारी है एवं सम्पूर्ण कार्यवाही प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही की जा रही है। इसलिए फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 7–7–15 निरस्त की जावे।<br>5– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से की गयी बहस पर | |

**अपील/5201/2004/एलआर/नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानी के साथ प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निगरानी के प्रथम पेज नम्बर एक पर यह अंकित किया है कि निगरानी तहसीलदार सरदारशहर के आदेश दिनांक 7–7–15 के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है जबकि वास्तव में यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध नहीं होकर हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक व्दारा की गयी फर्द मौका कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 7–7–15 एक प्रशासनिक कार्यवाही है जिसके विरुद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 7–7–15 की विरुद्ध अगर निगरानी कर्ता को कोई आपत्ति है तो वह सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष ही रिमाण्ड प्रकरण संख्या 2/14में प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में संधारण योग्य नही होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। न्यायहित में तहसीलदार सरदारशहर को आदेश दिये जाते हैं कि उनके समक्ष जैरकार रिमाण्ड प्रकरण संख्या 2/14 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही को अतिरिक्त जिला कलक्टर चुरु के निर्णय दिनांक 10–2–14 में पारित निर्देशों की पालना करते हुए एवं दोनो पक्षों की विधिवत रुप से सुनवाई करते हुए एवं उनकी उपस्थिति में फर्द मौका एवं अन्य कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

**अपील / 5201 / 2004 / एलआर / नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(<br>**विजय कुमार सोनी )**<br><br>**सदस्य**<br><br>वादी / प्रार्थी ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 178 / 12 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उनवानी ओमप्रकाश बनाम शारदा प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–9–13 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी/अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करदी। परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–9–13 के विरुद्ध प्रतिवादी/अप्रार्थी ने एक अपील संख्या 171/13 उनवानी शारदा बनाम ओमकाश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर व्दारा अपील आंशिक रुप से स्वीकार परीक्षण न्यायालय का निर्णय संशोधित कर आदेश पारित किया कि प्रार्थी/रैस्पोडेंट के 1/4 हिस्सा के कब्जे काश्त में दखल नही करने के अपीलांट/अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर के आदेश दिनांक 22–6–15 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।<br><br>3– निगरानी के एडमीशन/स्टे प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।<br><br>4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि राजस्व अपील अधिकारी ने वादी/प्रार्थी को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जब कि परीक्षण न्यायालय में वादी/ प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। अन्त में निवेदन किया कि अपील एडमिट कर अपीलीय न्यायालय का आदेश 22–6–15 की क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर विवादित आरजी के मौका एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति कामय रखी जावे।<br><br>5– इसके विपरीत अप्रार्थी/ केवियटकर्ता का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय का आदेश उचित एवं तर्क संगत है। अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी/प्रतिवादी को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वह वादी/प्रार्थी के 1/4 हिस्से में दखलन्दाजी नही करे। निगरानी एडमीशन स्तर पर ही खारिज करने का निवेदन किया गया।<br><br>6– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कियां । परीक्षण न्यायालय ने वादी / प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 171/13 पेश की। अपीलीय न्यायालय ने | |

**अपील/5201/2004/एलआर/नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रतिवादी/अप्रार्थी को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबान्द किया है कि वह वादी/प्रार्थी के 1/4 हिस्से में दखलन्दाजी नही करे। अपीलीय न्यायालय का आदेश सुस्पष्ट एवं निश्चित है। अपीलीय न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु स्वतन्त्र है। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने नामान्तरकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है। वादी प्रार्थी का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी का भी 1/4 हिस्सा है। दोनो के निश्चित हिस्से है। एक दूसरे कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने से विवाद बढेगे। इसलिए निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर के निर्णय दिनांक 22–5–15 को निरस्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रार्थी तथा प्रतिवादी/ अप्रार्थी अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते रहेगे। एक दूसरे के हिस्से में दखलन्दाजी नही करेगे।<br><br>7– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी ग्राह्ता स्तर पर ही उपरोक्तानुसार आन्शिक रुप से निर्णित की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(<br>**विजय कुमार सोनी )**<br><br>**सदस्य** | |

**अपील/5201/2004/एलआर/नागौर**
**परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी होकर वादीगण अपने पिता एवं पितामह के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। ।प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन बय व मुंतकिल करने के लिए धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादीगण व्दारा निष्पादित फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो अमल दरामद कराया है उसे निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दावा वादी डिक्री किया जावे। दौराने दावा वादीगण व्दारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण अपना कब्जा बता रहे है । इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20–6–14 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।<br><br>3– निगरानी के ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।<br><br>4— दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बताया कि प्रार्थी व्दारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर वास्तविक भौतिक रुप से कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण व्दारा कब्जा काश्त अपनी बताई जा रही है इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं न्यायालय को निर्णय करने में मदद मिल सके। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने इसे गलत आधार लेकर खारिज कर दिया जबकि उन्हे विवादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी लेकिन उनके व्दारा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियो को समझे बिना व गलत अर्थ लगाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी एडमिट कर स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 20—6—14 की पालना ताफैसला निगरानी स्थगित रखते हुए प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही ता फैसला निगरानी स्थगित किया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंबद किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।<br><br>6— हमने प्रार्थी के विव्दान अधिवक्ता की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर मौके पर वास्तविक कब्जा किसका है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मंगाने हेतु निवेदन किया। दौराने वाद मौका रिपोर्ट मंगाये जाने से साक्ष्य का निर्माण होगा। मौका रिपोर्ट पूर्व प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि हेतु तो मंगायी जा सकती है ,किन्तु साक्ष्य निर्माण करने के लिए यह उचित नहीं है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20—6—2014 उचित है, जिसमें हम कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज करना उचित समझते है।<br><br>7— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | से प्रस्तुंत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(<br>**बी. एस. गर्ग )**<br><br>**सदस्य** | |

# अपील / 5201 / 2004 / एलआर / नागौर
# परसूराम बनाम शंकरलाल व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |